

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,  
होमगार्ड्स, 30प्र0,  
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग

लखनऊ, दिनांक : 03 नवम्बर, 2020

विषय : होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7288/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017, दिनांक 11 सितम्बर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में अवैतनिक होमगार्ड्स स्वयंसेवक पदाधिकारियों के पदों की संख्या अत्यन्त सीमित है। इन पदों पर अनुभवी, अनुशासित एवं योग्य होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की नियत सेवा अवधि के उपरान्त वरीयता प्रदान करते हुए चयनित किये जाने तथा आवश्यकतानुसार नये योग्य प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती से अवैतनिक होमगार्ड्स स्वयंसेवक पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के द्वारा मेरिट के आधार पर सेवा योजन के अवसर बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है।

3. अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मृतक/स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों के आश्रितों को केवल होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद पर ही भर्ती किया जाए।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

भवदीय  
अनिल कुमार  
अपर मुख्य सचिव।

.....2

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-45/2020/2181(1)/पन्चानबे-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त जिलाधिकारी 30प्र0
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक 30प्र0।
3. समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, 30प्र0।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,  
निर्मला श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव।